एस. एल.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी, संख्या रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या दिशाएँ और निबंधक के साथ आदेश हस्ताक्षर के साथ	न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश
	11.12.2023		सी-482 नंबर 1006 सन 2023 मे आइए सं. 1 सन 2023 (कंपाउंडिंग एप्लीकेशन) <u>माननीय राकेश थपलियाल , जे.</u> 1. श्री विनय सिंह चौहान, विद्वान वकील आवेदकों की ओर से उपस्थित होते हैं , श्री वी. एस. पाल, विद्वान सहायक सरकारी वकील राज्य की ओर से उपस्थित हुए और श्री एम.के. रे, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील । 2. वर्तमान सी-482 आवेदन में, एक कंपाउंडिंग प्रार्थनापत्र (2023 का आईए नंबर 1) पेश किया गया है, जो आवेदकों के हलफनामे के साथ-साथ प्रत्यर्थी नंबर 2 के हलफनामे के साथ समर्थित है। 3. आवेदक संख्या 4-अमरीक सिंह को छोड़कर, क्योंकि वह बीमार हैं, सभी आवेदक और प्रत्यर्थी संख्या 2 (शिकायतकर्ता) अदालत में उपस्थित हैं । 4. आवेदकों के विद्वान वकील का कहना है कि आवेदक नंबर 4-अमरीक सिंह अदालत में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वह बहुत बीमार है, हालांकि, उसके पिता-करतार सिंह अदालत में मौजूद हैं। इस अदालत ने

			उनसे बातचीत की और उन्होंने इस अदालत के समक्ष यह भी कहा कि प्रत्यर्थी नंबर 4-अमरीक सिंह गंभीर रूप से बीमार हैं और अदालत में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं हैं। 5. इस न्यायालय ने आवेदक संख्या 1, 2 और 3 और प्रत्यर्थी संख्या 2 से बातचीत की। इन सभी की पहचान उनके संबंधित वकील द्वारा उनके आधार कार्ड के माध्यम से की गई है। 6. आवेदकों द्वारा वर्तमान सी-482 आवेदन दायर किया गया है, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उधम सिंह नगर द्वारा आरोप-पत्र दिनांक 22.02.2020 पारित संज्ञान/सम्मन आदेश दिनांक 29.02.2020 को चुनौती दी गई है। इसके अलावा, आवेदकों ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/चतुर्थ अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, रूद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर की अदालत में लंबित आईपीसी की धारा 326, 504, 506 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक मामले संख्या 1446 सन 2020, *उत्तराखंड राज्य बनाम करतार सिंह और अन्य* की कार्यवाही को भी चुनौती दी है। 7. दिनांक 03.01.2020 को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पुलिस स्टेशन रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर में आवेदकों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 02.01.2020 को लगभग 11:30 बजे आवेदक प्रत्यर्थी संख्या 2 के कृषि क्षेत्र में घातक हथियारों के साथ घुस गए और वहां

			काम कर रहे प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता के साथ मारपीट करने लगे, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता गुरुमुख सिंह घायल हो गये। घटना के बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जांच के बाद, आवेदकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 326, 504 और 506 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके बाद, 29.02.2020 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उधम सिंह नगर ने संज्ञान लिया और आवेदकों को आईपीसी की धारा 326,504, 506 के साथ पठित धारा 34 के तहत समन जारी किया। 8. आवेदकों के साथ-साथ प्रत्यर्थी नंबर 2 के विद्वान वकील का कहना है कि सभी आवेदक और प्रत्यर्थी नंबर 2 एक ही गांव के हैं और उन्होंने अपना विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और वे इस कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हालाँकि, राज्य के विद्वान सहायक सरकारी वकील श्री वी.एस. पाल का कहना है कि आईपीसी की धारा 326 के तहत अपराध समझौता योग्य नहीं है और आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 504 और 506 के तहत बाकी अपराध समझौता योग्य हैं। उनका निष्पक्ष रूप से कहना है कि आईपीसी की धारा 326 के संबंध में अपराध को *ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य* ***(2012) 10*** *एससीसी* ***303*** के मामले में

			माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर शमन किया जा सकता है क्योंकि आरोप व्यक्तिगत प्रकृति के प्रतीत होते हैं। 9. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और दोनों पक्षों के बीच हुए संयुक्त समझौते को देखने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि समझौता आवेदन स्वीकार करने योग्य है। तदनुसार, कंपाउंडिंग आवेदन स्वीकार किया जाता है। आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 326, 504, 506 के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/चतुर्थ अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर की अदालत में लंबित दंडनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक मामला संख्या 1446/2020 उत्तराखंड राज्य बनाम करतार सिंह और अन्य की पूरी कार्यवाही को अपास्त किया जाता है। 10. वर्तमान सी-482 आवेदन तदनुसार निपटाया जाता है । **(राकेश थपलियाल, जे)** 11.12.2023 राठौर